कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004

....

क्रमांक 2976 / 472 / आउशि / संबद्धता / 2018 भोपाल दिनांक 29 / 12 / 2018

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य,
समस्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषयः– सत्र 2019–20 के लिए नवीन निजी महाविद्यालय / नवीन / संकाय / नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता के लिए अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी।

––000––

प्रदेश में सत्र 2019–20 में नवीन महाविद्यालय / नवीन संकाय / नवीन पाठ्यक्रम / नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता के लिए अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी मार्गदर्शिका के अनुक्रम में अशासकीय महाविद्यालयों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट www.highereducation.mp.gov.in पर अपलोड किए गए हैं जिन्हें वेबसाइट पर "अशासकीय महाविद्यालयों के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र 2019–20" पर अवलोकन कर डाउनलोड किया जा सकता है।

2. शासन द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन–पत्र करने की अंतिम तिथि 31 / 01 / 2019 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 15 / 02 / 2019 निर्धारित की गई है, अतः सम्बद्धता हेतु समयसीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाय।

3. अमान्य किये गये नवीन महाविद्यालय / पाठ्यक्रम / कक्षा / विषय हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के समक्ष ऑनलाईन रिव्यु प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 01 / 01 / 2019 से 15 / 01 / 2019 निर्धारित है, इस अवधि में एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर रिव्यु राशि 35,000 / – (रूपये पैंतीस हजार) केवल (वापसी योग्य नहीं) सहित ऑनलाईन रिव्यु दर्ज किया जा सकता है।
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

29/12/18

(डॉ0 धीरेन्द्र शुक्ला)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक 2977 / 472 / आउशि / संबद्धता / 2018 भोपाल दिनांक 29 / 12 / 2018

प्रतिलिपिः–

1. कुलसचिव, समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल
2. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश की ओर इस निर्देश सहित कि आपके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित कार्यवाही संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालयों के माध्यम से उपरोक्तानुसार समयसीमा में कराना सुनिश्चित करें।
3. प्राचार्य, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर इस निर्देश सहित कि अपने क्षेत्रान्तर्गत, आने वाले अशासकीय महाविद्यालयों से उपरोक्तानुसार कार्यवाही समयसीमा में करवाना सुनिश्चित करें एवं उसकी जानकारी संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा को देवें।
4. वि0क0क0 आई.टी.सेल, उच्च शिक्षा की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

– सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश